



उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपकम)

U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

CIN: U40101UP2004SGC028687

संख्या: 575-पारे०अनु०-०४/पाट्रकालि/2022-(74)/2013

दिनांक ०२ अगस्त, 2022

निदेशक
पेशन निदेशालय,
इन्दिरा भवन,
लखनऊ

निदेशक,
कोषागार,
कोषागार निदेशालय,
लखनऊ

निदेशक
वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय,
जवाहर भवन,
लखनऊ

विषय:— उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिं० के पेशनरों/पारिवारिक पेशनरों को दिनांक ०१.०१.२०१६ से पुनरीक्षित पेशन/पारिवारिक पेशन पर दिनांक ०१.०१.२०२२ से महंगाई राहत की एक और किश्त स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उ०प्र० राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेशनरों को उत्तर प्रदेश वेतन समिति २०१६ की संस्तुतियों के अधीन निर्गत शासनादेशों के प्राविधिनों के अनुसार संशोधित/स्वीकृत पेशन/पारिवारिक पेशन पर दिनांक ०१ जनवरी, २०२२ से महंगाई राहत की ०३ प्रतिशत की एक और किश्त अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति वित्त (सामान्य) अनुभाग-३, उ०प्र० शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या-११/२०२२-सा-३-४००/दस-२०२२-३०१/२००० टीसी, दिनांक २३.०७.२०२२ द्वारा प्रदान की गयी है। राज्य सरकार के पेशनरों को अनुमन्य महंगाई राहत में उपर्युक्त बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप पेशन पर अनुमन्य महंगाई राहत की दर दिनांक ०१ जनवरी, २०२२ से ३१ प्रतिशत से बढ़कर ३४ प्रतिशत हो गई है।

उक्त के अनुक्रम में उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिं० के पेशनरों/पारिवारिक पेशनरों को दिनांक ०१ जनवरी, २०१६ से देय पुनरीक्षित पेशन/पारिवारिक पेशन पर महंगाई राहत की दरें उपर्युक्त शासनादेश की अनुरूपता में निम्नवत् अनुमन्य कराये जाने की सहर्ष स्वीकृति अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :—

| क्रम संख्या | महंगाई राहत अनुमन्यता की तिथि | बढ़ी हुई महंगाई राहत की देय किश्त की दर | महंगाई राहत की देय कुल दर (भासिक) |
|-------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|
| १. | ०१ जनवरी, २०२२ | ०३ प्रतिशत | ३४ प्रतिशत |

- २— महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये के आधे से कम आगणित होगी उसे नजर अंदाज कर दिया जायेगा, जबकि आधे अथवा उसके अधिक को पूर्ण रूपये के रूप में मान लिया जायेगा।
- ३— दिनांक ०१ जनवरी, २०१६ से पुनरीक्षित अनन्तिम पेशन पर भी उपर्युक्तानुसार महंगाई राहत अनुमन्य होगी।
- ४— पूर्ववर्ती परिषद के कार्यालय ज्ञाप संख्या-१०५४-डल्लू०सी०/राठवि०प०(औ०स०/उन्नीस)-१४(२३)एफ/८५, दिनांक १६ जून, १९८८ में निर्गत अदेशानुसार पेशन पर उक्त अतिरिक्त राहत के भुगतान के लिये उप महाप्रबन्धक(लेखा)/उप मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः अधिकारियों/राजकीय कोषागार द्वारा इस कार्यालय ज्ञाप के अनुसार महंगाई राहत का भुगतान किया जायेगा।
- ५— महंगाई राहत की स्वीकृति हेतु पूर्व में निर्गत आदेशों में उल्लिखित अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

मदीय,

(राकेश प्रसाद)
निदेशक (का०प्रब० एवं प्रशा०)

(क्रमसंख्या.....2)

(2)

संख्या : 575 (।)–पारेओन्यू-04/पाट्राकालि/22-74/2013/तददिनांक :

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. संयुक्त सचिव (पारेषण- ।), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. उप सचिव (पारेषण- ।/ ॥/ ॥), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/ महाप्रबन्धक/ मुख्य अभियन्ता/ अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
9. समस्त जिलाकोषाधिकारी, उ0प्र0।
10. सचिव, पावर सेक्टर इम्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
12. समस्त उपमहाप्रबन्धक/ उपमुख्य लेखाधिकारी/ क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
13. वरिष्ठ लेखाधिकारी/ लेखाधिकारी (ऐशन), लखनऊ।
14. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
- ✓15. अधिशासी अभियन्ता (सं0) निदेशक (आपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को ट्रान्समिशन की वेब-साइट पर अपलोड करने हेतु।


(अवनीश कुमार त्रिवेदी)
उप सचिव (पारेषण-तृतीय)